120

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्ड़ल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2430-II-15

235
01-7-15

COURT FEE 20 RS. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1— भगवानदीन तनय स्व0 भइया बढई उम्र 68 वर्ष पेशा पेशा जातीय

2— विष्णु उर्फ रज्जन बढई उम्र 36 वर्ष, पेशा जातीय दोनो निवासी कुडिया तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

—————आवेदकगण

बनाम

विनोद बढई तनय भगवानदीन पढई उम्र 38 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम कुडिया तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

—————अनावेदक

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय के प्रकरण कमांक 632/अपील/13—14 आदेश दिनांक 27/05/2015 के विरूद्ध निगरानी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व सहिता 1959 ई0

क्रमांक .... आज रजिस्टर्ड में .... प्राप्त दिनांक ....
मान्यवर रजिस्ट्रार सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि आवेदकगण एवं अनावेदक आपस में पिता एवं भाई है आराजी नं0 677/1, 678/1 एवं 672/1क कुल रकवा 3.00 ए0 स्थित ग्राम कुडिया तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 आवेदक भगवानदीन के अधिपत्य की भूमियॉ है जिनके सहखातेदार आवेदक कमांक 02 विष्णु उर्फ रज्जन एवं अनावेदक विनोद नही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 2430–दो/2015 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-1-18	आवेदकगण एंव केबिएटकर्ता के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 632/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुड़िया की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 31–12–2007 से सहमति के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 59/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–6–14 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण आदेश दिनांक 31–12–2007 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 632/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–15 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 17–6–14 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 27–5–15 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को , प्रस्तुत अभिलेख तथा निगरानी मेमो के आधारों के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 27–5–15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि	

ग्राम कुड़िया की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 31--12--2007 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष दिनांक 22--10--12 को अपील प्रस्तुत हुई है जो लगभग 4 वर्ष 10 माह के विलम्ब से है जबकि प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार तहसीलदार के समक्ष उभय पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी रकबा 5.09 एकड़ भगवान दीन एंव विष्णु ने विकय किया है एंव इनके व्दारा अपना हिस्सा विकय कर देने के वाद केवल बिनोद का हिस्सा शेष बचा है। केबिएटकर्ता के अभिभाषक ने पुष्टिकरण में भगवानदीन व्दारा केता चन्द्रभूषण मिश्रा निवासी गायत्री सदन आयुष्मान हास्पिटल के पास सतना के पक्ष में किये गये नोटरी एडव्होकेट के यहां पंजीयत हुये अनुबंध पत्र की छायाप्रति एंव विकय पत्र दिनांक 19--2--13 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इन्हीं आधारों पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 27--5--15 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :--

" नामान्तरण पंजी में भगवानदीन एंव विष्णु की सहमति से नामान्तरण बटवारा हुआ है तब उन्हें आदेश दिनांक 31--12--07 की जानकारी 2012 में होने का तर्क न्यायसंगत नहीं है एंव प्रथम दृष्टया ही अपील 5 वर्ष विलम्बित थी। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के व्दारा म्याद का आवेदन स्वीकार किया जाना म्याद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में केवल यह प्रश्न उठाया है कि भूमिस्वामी की सहमति नहीं है एंव इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी का यह विनिश्चय पूर्णतः त्रृटिपूर्ण है क्योंकि तहसील न्यायालय के नामान्तरण बटवारे की कार्यवाही के समय दोनों पक्ष उपस्थित थे। उन्हें बटवारे नामान्तरण के संबंध में पूर्ण जानकारी थी एंव उनकी सहमति थी। इस्तहार के प्रकाशन के संबंध में उपरोक्त नामान्तरण पंजी में किया गया है एंव हितबद्व पक्षकार स्वयं उपस्थित थे। अतः सुनवाई का अवसर नहीं देने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। "

उक्त कारणों से अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 17–6–14 को निरस्त किया है एंव ग्राम कुड़िया की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 31–12–2007 से सहमति के आधार पर अनावेदक के हित में हुये नामान्तरण को यथावत् रखा है , जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 632/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–15 में निकाले गये निष्कर्षों में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 632/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–5–15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य